तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मु. मुन्नी देवी बनाम सोनू** **452/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00154)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.18	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष का कथन रहा है कि अपील में पक्षकारान जो कि आपस में रिश्तेदार है, भविष्य में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए आपस में राजीनामा कर रहे है, अपीलान्ट, रेस्पोडेन्टान यानि पक्षकारान के मध्य गांव, रिश्तेदारों व बिरादरी के व्यक्तियों ने बैठाकर राजीनामा करा दिया है, हम पक्षकारान ने भी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा कर लिया है तथा जो नामान्तरकरण संख्या 736 अपीलान्ट मन्नी वगैरहा के नाम दर्ज कर दिनांक 14.01.2008 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है, वह सही है, रेस्पोडेन्टान को अपीलान्ट के हक में जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है, के बाबत अब कोई विवाद नही है, नामान्तरकरण सही स्वीकार कर तस्दीक हुआ है इस प्रकार प्रकरण का बरूवे राजीनामा फैसला किया जाना आवश्यक है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों व हालात पर गौर कर न्यायहित मे बरूवे राजीनामा उक्त अपील का निर्णय किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी के खातेदार मुंशीराम के फौत होने पर उसके वारिसान की बिना जांच किये ही तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनांक 14.01.08 को नामान्तरकरण संख्या 736 स्वीकृत किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है जबकि उभयपक्ष अब राजीनामा प्रस्तुत कर उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण को ही सही होने का कथन कर रहे है, जबकि विधि विरूद्ध नामान्तरकरण को पक्षकारान के कथन पर सही व कानूनी तौर पर उचित नही ठहराया जा सकता है लेकिन चूँकि उभयपक्ष के मध्य वादग्रस्त आराजी बाबत वर्तमान में राजीनामा हो चुका है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार तिजारा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.06.2008 के अनुसरण में नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही करें। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	